*संख्याः01/2018/244/12-4-18-409/2016*

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 28 फरवरी, 2018

विषय :- श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, महोबा की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस0-1720/चि0प्र0पू0, दिनॉक 26-10-2017 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग), महोबा का प्रदेश के बाहर सर गंगा राम हास्पिटल, नई दिल्ली में दिनॉक 05-10-2015 से दिनॉक 13-10-2015 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रयोजित योजनायें-103-इन्टीग्रेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेनसेस इकोनामिक्स एण्ड स्टैस्टिक्स योजना-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी(2)106//दस/2018, दिनॉक 19-02-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

*संलग्नक-यथोपरि।*

(यतीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

*संख्याः01/2018/244(1)/12-4-2018, तददिनॉक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा।
(3) कोषाधिकारी, महोबा / जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग), महोबा ।
(4) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झॉसी मण्डल, झॉसी।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2,
(6) श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग), महोबा ।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in